

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में

आपराधिक विविध संख्या- 11360/2021

पीएस से संबंधित मामला सं.- 222 वर्ष-2015 थाना- राजीव नगर जिला- पटना

=====

1. कल्पना कुमारी पत्नी अशोक कुमार, निवासी- मजिस्ट्रेट कॉलोनी मेन रोड आशियाना नगर थाना राजीव नगर जिला पटना-800024।
2. पिंटू कुमार पिता- अम्बिका यादव, निवासी- मजिस्ट्रेट कॉलोनी मेन रोड आशियाना नगर, थाना राजीव नगर, जिला-पटना-800024।

.....याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. बिहार राज्य
2. श्रीमति अल्का वर्मा, पत्नी- श्री राजेश कुमार, निवासी मोहल्ला दक्षिण चित्रगुप्त नगर, योगीपुर, थाना+पोस्ट ऑफिस- पत्रकारनगर, जिला- पटना-800020

.....विपरीत पक्षों

=====

अपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 - धारा 156(3) और 239

निरस्तीकरण/रद्दीकरण आवेदन

याचिकाकर्ता द्वारा अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा पारित आदेश जसमें उसके द्वारा दायर उन्मोचन याचिका को खारिज किया गया है, को रद्द करने की मांग की गयी है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथा: **प्रियंका श्रीवास्तव और अन्य बनाम उ.प्र. राज्य एवं अन्य**; 2015(6) एस.सी.सी. 287 को दुहराया गया।

निर्णित किया गया कि शिकायतकर्ता ने पुलिस मामला दर्ज करने के लिये पुलिस से सम्पर्क नहीं किया और न ही प्राथमिकी दर्ज करने से इंकार करने की उच्च पुलिस अधिकारियों से शिकायत की, न ही शिकायत याचिका में शपथ पत्र दिया। आक्षेपित निर्णय को रद्द किया गया।

[पारा 8]

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में

आपराधिक विविध संख्या- 11360/2021

पीएस से संबंधित मामला सं.- 222 वर्ष-2015 थाना- राजीव नगर जिला- पटना

=====

1. कल्पना कुमारी पत्नी अशोक कुमार, निवासी- मजिस्ट्रेट कॉलोनी मेन रोड आशियाना नगर थाना राजीव नगर जिला पटना-800024।
2. पिंटू कुमार पिता- अम्बिका यादव, निवासी- मजिस्ट्रेट कॉलोनी मेन रोड आशियाना नगर, थाना राजीव नगर, जिला-पटना-800024।

.....याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. बिहार राज्य
2. श्रीमति अल्का वर्मा, पत्नी- श्री राजेश कुमार, निवासी मोहल्ला दक्षिण चित्रगुप्त नगर, योगीपुर, थाना+पोस्ट ऑफिस- पत्रकारनगर, जिला- पटना-800020

.....विपरीत पक्षों

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ताओं के लिए: श्री संजीव कुमार,

श्रीमति प्रीति

सूचना देने वाले के लिए:

श्री अंसुल

विरोधी दलों के लिए:

श्री कन्हैया किशोर, एपीपी

=====

कोरम:- माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रभात कुमार सिंह

दिनांक: 28-07-2022

1. वर्तमान आवेदन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी XI, व्यवहार न्यायालय, पटना की विद्वत अदालत द्वारा राजीव नगर थाना केस नंबर 222/2015 में पारित आदेश को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जिसके तहत नीचले विद्वत अदालत ने याचिकाकर्ताओं द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 239 के तहत दायर उन्मोचन याचिका को खारिज कर दिया है।

2. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में वह सूचना देने वाली/शिकायतकर्ता श्रीमती. अलका वर्मा ने पटना उच्च न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई थी। 2015 की संख्या 2881 (सी) वाली याचिका में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत मामले को राजीव नगर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए भेजने का अनुरोध किया गया था और तदनुसार, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत याचिका में आरोप लगाया कि आरोपी व्यक्ति कंपनी मेसर्स नीलकंठ सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और प्रबंध निदेशक हैं और अन्य जिन्होंने दिनांक 05.10.2012 को एक बहुमंजिला अपार्टमेंट के निर्माण के लिए मकान मालिक निर्मला देवी के साथ एक विकास समझौता किया था।

3. यह भी आरोप लगाया गया है कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया था कि वह तीन साल के भीतर फ्लैट का निर्माण करेगा। यह भी आरोप लगाया गया है कि अभियुक्त व्यक्तियों के आश्वासन पर शिकायतकर्ता ने फ्लैट संख्या 106 के लिए

1110 वर्ग फीट एक कार पार्किंग स्थान/सं-5 सहित रुपया 24,59,000/- की कीमत पर समझौता किया। और शिकायतकर्ता ने समझौते के निष्पादन के समय रुपया 3,50,000/- की अग्रिम भुगतान किया।

4. यह भी आरोप लगाया गया है कि समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार, शिकायतकर्ता के पति ने अभियुक्त को 5,50,000/- रुपये का भुगतान किया। लेकिन भारी भुगतान के बावजूद समय के भीतर अपार्टमेंट का निर्माण नहीं किया गया था और इस प्रकार, अभियुक्त व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता को धोखा दिया था।

5. उपरोक्त शिकायत मामले के आधार पर, याचिकाकर्ताओं और अन्य लोगों के खिलाफ धारा 406 और 420 के तहत 2015 का राजीव नगर पुलिस थाना मामला संख्या 222/2015 दर्ज किया गया था और अनुसंधान के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420 और 34 के तहत 2016 की धारा संख्या के माध्यम से आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था और तदनुसार इन याचिकाकर्ताओं सहित सभी अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ समन जारी किए गए थे। समन जारी करने के बारे में पता चलने के बाद, याचिकाकर्ताओं सहित सभी आरोपी व्यक्ति नीचे दी गई अदालत के समक्ष पेश हुए और आ.प्र.सं. दिनांक 13.03.2019 की धारा 239 के तहत आरोपमुक्त करने की याचिका दायर की, जिसे आक्षेपित आदेश द्वारा बिना सोचे समझे खारिज कर दिया गया है।

6. याचिकाकर्ताओं ने आक्षेपित आदेश को इस आधार पर चुनौती दी है कि शिकायत याचिका में यह खुलासा नहीं किया गया है कि शिकायतकर्ता ने मामला दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया या मामले को दर्ज न करने के खिलाफ उच्च पुलिस अधिकारियों से शिकायत की और शिकायत याचिका में धारा 156 (3) के तहत इसे दर्ज कराने के लिए अचानक प्रार्थना की। दूसरे शब्दों में यह प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायत पटना उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता के 154 (1) के वैधानिक प्रावधान और दंड प्रक्रिया संहिता के 154

(3) के अनुपालन के बाद दायर किया गया और इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि शिकायतकर्ता ने अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया है, विधिवत रूप से उपरोक्त शिकायत याचिका को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए भेजा और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ समन जारी किया। उसी के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं ने **प्रियंका श्रीवास्तव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2015 (6) एस. सी. सी. 287** जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णित है, पर भरोसा किया है।

7. इस मामले में, विरोधी दल पहले ही उपस्थित हो चुके हैं। कई बार हस्तक्षेप करने के बावजूद राज्य/विरोधी पक्ष संख्या 2 की ओर से कोई जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया गया है। हालाँकि, विरोधी पक्षों के विद्वान वकील का निवेदन है कि चूंकि इस मामले में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420 और 34 के तहत अपराध के लिए आरोप पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है, इसलिए इस स्तर पर मुकदमे में इस माननीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

8. पक्षों की विरोधी दलीलों को सुनकर और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्रियों का अध्ययन करके, इस अदालत को याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई दलीलों में तथ्य और बल मिलता है। शिकायत याचिका के केवल अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता ने कहीं भी उल्लेख या खुलासा नहीं किया है कि शिकायतकर्ता ने पुलिस मामला दर्ज करने के लिए पुलिस से संपर्क किया था या आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 154 (1) और 154 (3) के तहत प्राथमिकी दर्ज न करने के बारे में उच्च पुलिस अधिकारियों से शिकायत की थी और न ही शिकायत याचिका में शपथ पत्र दिया था। **प्रियंका श्रीवास्तव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (उपरोक्त)**, सर्वोच्च न्यायालय ने कानून के समरूप प्रश्न पर विचार किया और निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया:-

“27. कानून के उपरोक्त उच्चारण के संबंध में, यह दोहराया जाना चाहिए कि विद्वत मजिस्ट्रेट को लगाए गए आरोपों और आरोपों की प्रकृति के संबंध में सतर्क रहना होगा और उचित विवेक के बिना निर्देश जारी नहीं करना होगा। उसे यह भी ध्यान रखना होगा कि मामले को भेजना न्याय के लिए अनुकूल होगा और फिर वह आवश्यक आदेश पारित कर सकता है। वर्तमान में एक ऐसा मामला है जिसमें आरोपी व्यक्ति बैंक में उच्च पदों पर कार्यरत हैं। हम पूरी तरह से सचेत हैं कि स्थिति मायने नहीं रखती है, क्योंकि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन, विद्वान मजिस्ट्रेट को पूरी तरह से आरोपों, घटना की तारीख और क्या कोई संज्ञेय मामला दूर से बनाया गया है, इस पर ध्यान देना चाहिए। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब सरफयासी अधिनियम के तहत आने वाले वित्तीय संस्थान का कोई उधारकर्ता धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत अधिकार क्षेत्र का आह्वान करता है और बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 के तहत देय ऋणों की वसूली के तहत एक अलग प्रक्रिया भी है, तो अधिक सावधानी, सचेत और एहतियात का पालन किया जाना चाहिए।

28. प्राथमिकी दर्ज करने के लिए "आवेदन के अनुसार" निर्देश जारी करना समाज में एक बहुत ही प्रतिकूल स्थिति पैदा करता है और यह विद्वान मजिस्ट्रेट का गलत दृष्टिकोण दर्शाता है। प्रकाश कुमार बजाज जैसे बेईमान और सिद्धांतहीन वादियों को वित्तीय संस्थानों को घुटनों पर लाने के लिए अदालतों के साथ साहसिक कदम उठाने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। जैसा कि तथ्यात्मक विवरण से पता चलता है, प्रत्यर्थी 3 ने पहले के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया था और मामले को उच्च न्यायालय द्वारा एक निपटान दर्ज करने वाली रिट याचिका में निपटाए जाने के बाद, वह आपराधिक मामले को वापस नहीं लेता है और किसी ऐसी स्थिति का इंतजार करता है जहां वह बदला ले सके जैसे कि वह

सभी अनुसंधान का मालिक है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि अपीलार्थी 1 के कार्यकाल के दौरान, जो वर्तमान में उपाध्यक्ष के पद पर है, न तो ऋण लिया गया था, न ही चूकायी गई थी, न ही सरफेसी अधिनियम के तहत कोई कार्रवाई की गई थी। हालाँकि, वर्तमान अपीलार्थी 1 के कहने पर दूसरी बार सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी। हम केवल ऋण के भुगतान से बचने के एकमात्र इरादे से अपीलार्थियों को परेशान करने के लिए प्रतिवादी 3 के गलत इरादे के बारे में बता रहे हैं। जब कोई नागरिक किसी वित्तीय संस्थान से ऋण लेता है, तो यह उसका दायित्व होता है कि वह उसे वापस करे, न कि उसे धोखा दे। जैसा कि हमने देखा है, वह कार्य करने में सक्षम रहा है क्योंकि उसे अंतर्निहित विश्वास है कि उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी क्योंकि धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत एक आवेदन जांच एजेंसी को निर्देश जारी करने के लिए अदालत में एक सरल आवेदन है। हमें अवगत कराया गया है कि धारा 154 (3) के अनुपालन को दिखाने के लिए एक दस्तावेज़ की एक कार्बन प्रति दायर की गई है, जो दर्शाती है कि इसे संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेजा गया है।

29. इस स्तर पर यह कहना प्रतीत होता है कि धारा 156 (3) के तहत शक्ति न्यायिक विवेक के इस्तेमाल की मांग देती है। कानून की एक अदालत शामिल है। यह पुलिस संहिता की धारा 154 के स्तर पर कदम नहीं उठा रही है। एक वादी अपनी मर्जी से मजिस्ट्रेट (दंडाधिकारी) के अधिकार का आह्वान नहीं कर सकता है। एक सैद्धांतिक और वास्तव में असंतुष्ट आम नागरिक शुद्ध अंतःकरण के साथ को उक्त शक्ति का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। यह नागरिकों की रक्षा करता है लेकिन जब विकृत मुकदमे अपने साथी नागरिकों को परेशान करने के लिए इस रास्ते पर चलते हैं, तो इसे रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए।

30. हमारी सुविचारित राय में, इस देश में एक ऐसा चरण आ गया है जहाँ धारा 156 (3) दं.प्र.सं. आवेदनों को मजिस्ट्रेट की अधिकारिता का आह्वान करने वाले आवेदक द्वारा विधिवत शपथ पत्र द्वारा समर्थित किया जाना है। इसके अलावा, हर उपयुक्त मामले में, विद्वान मजिस्ट्रेट को सच्चाई की पुष्टि करने और आरोपों की सत्यता की पुष्टि करने की अच्छी तरह से सलाह दी जाएगी। यह शपथ पत्र आवेदक को अधिक जिम्मेदार बना सकता है। हम ऐसा कहने के लिए मजबूर हैं क्योंकि इस तरह के आवेदन नियमित रूप से दायर किए जा रहे हैं और केवल कुछ व्यक्तियों को परेशान करने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है। इसके अलावा, यह और अधिक परेशान करने वाला और खतरनाक हो जाता है जब कोई उन लोगों को सम्मिलित करने की कोशिश करता है जो एक वैधानिक प्रावधान के तहत आदेश पारित कर रहे हैं जिसे उक्त अधिनियम के ढांचे के तहत या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती दी जा सकती है। लेकिन यह एक आपराधिक अदालत में अनुचित लाभ उठाने के लिए नहीं किया जा सकता है जैसे कि कोई कुछ हासिल करने के लिए दृढ़ है।

31. हम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि धारा 156 (3) के तहत याचिका दायर करते समय धारा 154 (1) और 154 (3) के तहत पूर्व आवेदन होने चाहिए। आवेदन में दोनों पहलुओं को स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए और इस आशय के आवश्यक दस्तावेज दाखिल किए जाने चाहिए। धारा 156 (3) के तहत एक आवेदन को एक हलफनामे द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए ताकि आवेदन करने वाला व्यक्ति सचेत हो और यह भी प्रयास करे कि कोई गलत हलफनामा नहीं दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार जब कोई हलफनामा झूठा पाया जाता है, तो वह कानून के अनुसार अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा। उसे धारा 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट के अधिकार को आकस्मिक रूप से लागू करने

से रोकेगा। इसके अलावा, हम पहले ही कह चुके हैं कि मामले के आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इसकी सत्यता को विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा भी सत्यापित किया जा सकता है। हम ऐसा कहने के लिए मजबूर हैं क्योंकि वित्तीय क्षेत्र, वैवाहिक विवाद/पारिवारिक विवादों, वाणिज्यिक अपराधों, चिकित्सा लापरवाही के मामलों, भ्रष्टाचार के मामलों और आपराधिक अभियोजन शुरू करने में असामान्य देरी/बाधाओं से संबंधित कई मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जैसा कि ललिता कुमारी में दर्शाया गया है। इसके अलावा, विद्वान मजिस्ट्रेट को प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के बारे में भी पता होगा।”

9. ऊपर की गई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, 2015 के राजीव नगर पुलिस थाना मामला संख्या 222 और उसके बाद की आपराधिक कार्यवाही के संबंध में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट XI, पटना द्वारा पारित दिनांक 24.02.2020 के आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है।

10. तदनुसार, इस आवेदन की अनुमति है।

(प्रभात कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

विनीता/-

खण्डन (डिस्कलेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।